

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओपीबिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 11/2017

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जयसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स खेतेश्वर किराणा स्टोर, सिवाना जिला बाड़मेर का मुनिम)
2. भंवरसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी 375 स्कूल के पास, कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स खेतेश्वर किराणा स्टोर सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक)
3. बाबूलाल पुत्र देवाराम जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कं० सिवाना का मालिक)
4. राकेश कुमार शर्मा 42 भाण्डो की गली वार्ड नं. 10 चौमू तह० चौमू जिला जयपुर (मैसर्स महेश फूड इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा जयपुर का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- उपस्थित:-
1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
 2. श्री नृसिंह सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.05.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त दोपहर 12.00 बजे मैसर्स खेतेश्वर किराणा स्टोर, सिवाना पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

K



नाम जयसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुसीप तहसील सिवाना, मैसर्स खेतेश्वर किराणा स्टोर सिवाना का मुनिम होना बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ आम जनता को बिक्री हेतु चीली पाउडर (सविता) जो लगभग 10 पैकेट में रखा हुआ पाया गया। चीली पाउडर (सविता) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को रूपये 300/- नगद अदा कर 500-500 ग्राम की कुल 4 पैकेट खरीदी एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 522 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर पी. 522 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.522 जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ चीली पाउडर (सविता) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से एलएस/355/एक्ट/2015/355 दिनांक 01.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जाँच में


॥

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



खाद्य पदार्थ चीली पाउडर (सविता) का नमूना पी. 522 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ चीली पाउडर (सविता) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.522 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोक अदालत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में रखी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम एवं अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित हुए।
3. विप्रार्थीगण के वकील द्वारा कथन किया कि विप्रार्थी की दुकान से भरे गये चीली पाउडर (सविता) की नमूना जांच में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। विप्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते हैं। विप्रार्थीगण के विरुद्ध नरमाई का रुख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाया जायें।
4. दोनो पक्षो को सुना गया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम द्वारा जाहिर किया गया कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/355/एक्ट/2017/355 दिनांक 01.06.2015 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा बेचे जा रहे चीली पाउडर (सविता) नमूना पी.522, Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं। अप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया कर प्रकरण का निस्तारण किया जायें।



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभियुक्त जयसिंह वगैरा द्वारा चीली पाउडर (सविता) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त विप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर रूपये 2000/- रूपये, विप्रार्थी संख्या 03 पर रूपये 3000/- एवं विप्रार्थी संख्या 04 पर रूपये 5000/- की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06.2018 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06.06..2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर